<u>राष्ट्रीय लोक अदालत</u>

UPMZ050012282022

न्यायालय CIVIL JUDGE S.D.F.T.C., Muzaffarnagar

पीठासीन अधिकारी– (Shri Mayank Jaiswal), **सिविल जज (सि0 डि0)–UP02131**

वाद संख्या–268/2022

(मूलवाद सं0–70/2012)

रामवीर आदि बनाम लोकेन्द्र

<u>09.09.2023</u>

आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत पेश हुई। पुकारा गया। वादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

प्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थना–पत्र 3 क इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण रामवीर एवं राहुल की ओर से कोर्ट फीस अंकन 1,35,348–50/– रूपये (एक लाख पैंतीस हजार तीन सौ अडतालिस रूपये पचास पैसे) प्रार्थीगण को वापस दिलाये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 20.09.2022 द्वारा स्वीकार करते हए, अंकन 1,35,348–50/– रूपये (एक लाख पैंतीस हजार तीन सौ अडतालिस रूपये पचास पैसे) प्रार्थीगण रामवीर व राहुल को वापस किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। प्रार्थी रामवीर द्वारा अंकन 1,35,348–50/– रूपये (एक लाख पैंतीस हजार तीन सौ अडतालिस रूपये पचास पैसे) का बाउचर प्रार्थी राहुल के नाम बनाये जाने में अनापत्ति की गयी है तथा प्रार्थी रामवीर द्वारा विविध वाद सं0–85/2019 में इस सम्बन्ध में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसकी सत्य प्रतिलिपि कागज संख्या–5 ग/1 पत्रावली में संलग्न है। प्रार्थी राहुल द्वारा कोर्ट फीस अंकन 1,35,348–50/– रूपये (एक लाख पैंतीस हजार तीन सौ अडतालिस रूपये पचास पैसे) का बाउचर अपने पक्ष में बनाये जाने की याचना की गयी है। प्रार्थना–पत्र शपथ–पत्र से समर्थित है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद संख्या –85/2019, 'रामवीर आदि बनाम लोकेन्द्र' में पारित आदेश दिनांकित 20.09.2022 की सत्य प्रतिलिपि के अवलोकन से विदित होता है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20.09.2022 द्वारा मूलवाद संख्या–70/2012 में जमाशुदा कोर्ट फीस अंकन 1,35,348–50/– रूपये (एक लाख पैंतीस हजार तीन सौ अडतालिस रूपये पचास पैसे) प्रार्थीगण रामवीर पुत्र राम निवास एवं राहुल पुत्र अमरीश को नियमानुसार

Digitally signed by Mayank Jasswal
Date: 2023.09.11 10:30:38 IST
Reason: Order
Location: Civil Judge (S.D.)/FTC

वापस किये जाने हेतु आदेश पारित किया गया है। प्रार्थी राहुल की ओर से कोर्ट फीस अंकन 1,35,348–50/– रूपये (एक लाख पैंतीस हजार तीन सौ अडतालिस रूपये पचास पैसे) का बाउचर अपने नाम बनवाये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिस पर प्रार्थी रामवीर की ओर से आदेश–पत्र के हासिये पर यह पृष्ठांकन किया गया है कि समस्त कोर्ट फीस राहुल के हक में जारी करने की कृपा करे, ऐसा करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसी आशय का शपथ –पत्र प्रार्थी रामवीर द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या–85/2019 में भी प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना–पत्र 3 ग स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी राहुल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 3 ग स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी राहुल पुत्र अमरीश, निवासी–ग्राम खरड, तहसील–बुढाना, जिला–मुजफफरनगर के पक्ष में कोर्ट फीस अंकन 1,35,348–50/– रूपये (एक लाख पैंतीस हजार तीन सौ अडतालिस रूपये पचास पैसे) का रिफन्ड बाउचर नियमानुसार बनाया जाए।

बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(मयंक जायवाल)
सिविल जज, (सी0 डि0)/एफ.टी.सी.,
मुजफ्फरनगर।